न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–38/2017

1. भागीरथ
2. हरबक्स
3. प्रभात

पुत्रान महादेव, समस्त जाति मीणा, निवासियान खांगा की ढाणी, गांव थली, ग्राम पंचायत थली, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

– अपीलान्टस–

बनाम

1. श्रीमती ज्याना देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, निवासी थली, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0, हाल निवासी ग्राम व पोस्ट नटाटा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
3. उप–पंजीयन, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री लालचन्द जाट अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 28–12–2017

1. यह अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.11.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ मु0 न0 46/2016 उनवानी श्रीमती ज्याना देवी बनाम भागीरथ वगैरहा अन्तर्गत धारा 223 राज0 टि0 एक्ट प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम थली, तहसील जमवारागढ, जिला जयपुर में आराजी खसरा नम्बर 295 रकबा 3.53 हैक्टै0, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.01 हैक्टै, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.20 हैक्टै. कुल किता 3 कुल रकबा 3.74 हैक्टै0 में से वादिया का कुल हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर स्थित है। उक्त विवादित भूमि अविभाजित भूमि है। इस प्रकार वादिया के हिस्से में कुल भूमि 1.87 हैक्टै0 आती है जिसकी वादिया स्वयं मालिक है। वादग्रस्त आराजियात भूमि रिकॉर्डेड अविभाजित भूमि है। अभी तक सह खातेदारों के मध्य खसरा नम्बर 295, 296 व 297 की भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा वादियां व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त रूप से सम्पूर्ण आराजियात पर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादिया खसरा नम्बर 295, 296, 297 की सम्पूर्ण आराजियात पर मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 296 के पश्चिम दिशा में काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। वादिया द्वारा उक्त विवादित भूमि जरिये विक्रय पत्र प्रतिवादीगण के सह खातेदारों से क्रय कर लेने की वजह से प्रतिवादीगण वादिया से रंजिश रखते हैं। अतः राजस्व रिकॉर्ड में बाइ मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से आधार पर भूमि का विधिवत बंटवारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

करते हेतु वादिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 3–11–2016 द्वारा वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्यायशास्त्र के मूल सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादीया द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पश्चात प्रतिवादीगण/अपीलान्ट की ओर से योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि वादीया द्वारा गलत तथ्यों पर दावा प्रस्तुत किया गया है तथा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने के कारण वाद वादिया खारिज फरमाया जावे, अर्थात वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादीगण/अपीलान्टस द्वारा विरोध किया गया था, तथा प्रतिवादीगण/अपीलान्ट द्वारा विरोध किये जाने के पश्चात विचारण न्यायालय के लिए तनकियात कायम करते हुए दोनों पक्षकारान से साक्ष्य दस्तावेजात व बयानात आदि का पूर्ण अवसर देते हुए पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये सबूत, दस्तावेजात व बयानात आदि पर विवेचन करते हुए गणावगुण पर निर्णय किया जाना आवश्यक था, लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकियात कायम किये व बिना साक्ष्य सबूत के मनमाने तरीके से विधिक प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वाद वादियां डिक्री करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित की है, जो कि कतई विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण/अपीलान्टस की ओर से जवाब दावे में यह स्पष्ट रूप से तथ्य अंकित किये है कि प्रतिवादीगण/अपीलान्टस व वादिया श्रीमती ज्याना देवी के पूर्वहकधारी के मध्य पूर्व में ही बाहमी विभाजन अर्थात मौखिक बंटवारा हो चुका है तथा मौखिक बंटवारे के अनुसार ही प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स काबिज काश्त है तथा अपीलान्ट ने अपने जवाब दावे में यह तथ्य भी अंकित किया है कि प्रतिवादीगण/अपीलान्ट द्वारा बाहमी बंटवारे में प्राप्त अपनी भूमि पर मकानात बना रखे हैं तथा पत्थरों की डोल लगा रखी है तथा वादिया नाजायज रूप से उक्त भूमि को हडप करना चाहती है इन सब तथ्यों के बावजूद भी बिना तनकियात कायम किये हुए व बिना साक्ष्य सबूत लिय ही योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादिया डिक्री फरमा दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण/अपीलान्टस की ओर से प्रतिरोध के रूप में वाद वादिया खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अपीलान्ट ने कभी भी वादिया के हक में वाद डिक्री किये जाने की सहमति नहीं दी है तथा वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई राजीनामा भी प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2016 को गलत रूप से प्रतिवादीगण की सहमति अंकित करते हुए वाद वादियां डिक्री कर दिया, जो कि कतई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गलत है जिस कारण से भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की ओर से अपीलान्ट न0 1 भागीरथ ही योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तारीख पेशियो पर आता–जाता रहता था। अपीलान्ट नम्बर 1 वृद्ध व्यक्ति है तथा अपीलान्ट नम्बर 1 गत चार माह से अत्यधिक बीमार होने के कारण योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तारीख पेशियों पर उपस्थित नहीं हो पाया तथा अपीलान्ट के अभिभाषक ने भी आश्वस्त कर दिया था कि आपको बार बार कोर्ट की तारीख पेशियों पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अपीलान्ट नम्बर 1 की कुछ तबियत ठीक होने पर अभी हाल ही में दिनांक 19.01.2017 को अपने अभिभाषक से कोर्ट आकर सम्पर्क किया तो अभिभाषक अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने के संबंध में जानकारी दी। तत्पश्चात अपीलान्ट्स द्वारा निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की, तथा नकल प्राप्त होते ही अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है तथा दैरी की क्षमा के लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत भी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्ण्य व डिक्री को निरस्त फरमाया जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादिया/रेस्पोडेन्ट भूमि की क्रेता है तथा मौखिक बंटवारा होने का कथन किया गया है परन्तु बंटवारे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वाद में किये गये कब्जे संबंधी कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा अस्वीकृति का दिया गया था जिसके पश्चात तनकियॉ कायम की जानी चाहिये थी जो नहीं की गई है वादिया द्वारा प्रस्तुत तथकथित राजीनामा तस्दीक शुदा नही हैं इसलिये वह मान्य नही है। खसरा नम्बर 296 व 297 में भागीरथ व हरबक्स खातेदार नहीं है फिर भी राजीनामा में उक्त भूमि उनके हिस्से में बताई गई है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं विधि की सारभूत त्रुटि कारित की गई है इसे निरस्त फरमाया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति से अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जिसकी अपील चलने योग्य नहीं है। वादिया द्वारा भूमि क्रय करते समय ही कब्जा प्राप्त कर लिया था जिसपर प्रतिवादीगण की सहमति रही हैं। अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्राथमिक डिक्री सह–खातेदारों के मध्य विभाजन हेतु पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलान्ट्स के पास प्रकरण में आने वाले कुर्रेजात प्रस्तावों पर आपत्ति किये जाने का अवसर मौजूद है इसलिये अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

7–उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसपर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका विभाजन दोनों पक्ष करना चाहते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03–11–2016 को उभयपक्षों की सहमति उपरान्त प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है आदेशिका दिनांक 3–11–2016 में अंकित है कि ''वकील उभयपक्ष उपस्थित उभयपक्ष द्वारा वाद को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर मौके एवं कब्जे अनुसार तकासमा करवाने की सहमति जाहिर की।'' न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में अंकित किया है कि हिस्सा अनुसार वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य तकासमा किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया जावे। पक्षकारों के मध्य कोई स्वामित्व संबंधि विवाद वादग्रस्त भूमि को लेकर नहीं है तथा प्राथमिक डिक्री में इस प्रकार का कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है जिससे कि किसी पक्षकारान को आपत्ति हो।उभयपक्ष के समक्ष कुर्रेजात प्रस्ताव अपनी उपस्थिति में तैयार करवाना जाने तथा प्रस्तावों पर आपत्ति किये जाने का अवसर मौजूद है। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में यह आपत्ति ली गई है कि न्यायालय द्वारा वादिया के कब्जे संबंधी किये गये कथनों को स्वीकार करते हुए डिक्री जारी की गई है जबकि डिक्री में इस प्रकार का कोई उल्लेख नही है। डिक्री मात्र हिस्से अनुसार विभाजन हेतु जारी की गई है इसमें कब्जे काश्त का कोई उल्लेख नही हैं। अपीलान्ट्स द्वारा की गई यह आपत्ति आधारहीन हैं। उपर्युक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में कोई सारभूत विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है तथा इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8–अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 28–12–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर